

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक:प 8 (ड)()विधि/मनो/डीएलबी/21/2801

दिनांक 14-6-2021

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6(1)(क)(ii)(iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आगामी आदेश अथवा नगर निगम/परिषद्/पालिका मण्डल की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए निम्न नगर निगम/परिषद्/पालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित व्यक्तियों को एतद् द्वारा सहवृत्त सदस्य मनोनीत करती है:-

जिला	नगरीय निकाय का नाम	क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पिता/पति का नाम	पता	मोबाईल	श्रेणी
धौलपुर	नगरपालिका राजाखेडा	1.	श्री चन्दन सिंह	श्री किशन लाल सविता	वार्ड नं. 21, राजाखेडा		
		2.	श्री तेज सिंह	श्री गोपीचंद	वार्ड नं. 28, राजाखेडा		
		3.	श्रीमती मीरा देवी	श्री महावीर	वार्ड नं. 30, राजाखेडा		
		4.	श्री नेतराम	श्री गोपाल सिंह	वार्ड नं. 06, राजाखेडा		
		5.	श्री रामचंद्र कोली	श्री छीतरिया कोली	वार्ड नं. 11, राजाखेडा		दिव्यांग
		6.	श्री धमेन्द्र सोनी	श्री जगदीश प्रसाद	वार्ड नं. 22, राजाखेडा		

राज्यपाल की आज्ञा से,

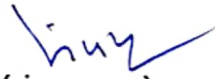

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प 8 (ड) () बो.प्र/डीएलबी/21/2802 - 2815

दिनांक 14-6-2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
02. निजी सचिव, विशेषाधिकारी (डी.), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
03. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, जिला कलक्टर, झालापुर.....
07. निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
08. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग झरतपुर.....
09. संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि सहवृत/मनोनीत सदस्यों को एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
10. संबंधित आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ राजसूरी..... को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि सहवृत/मनोनीत सदस्यों को अपने स्तर पर सूचित करते हुए उपखण्ड अधिकारी से एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
11. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
12. उप निदेशक (जनसम्पर्क), निदेशालय।
13. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
क्रमांक:प 8 (ड)()विधि/मनो/डीएलबी/21/२786

दिनांक 14-6-२०२1

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6(1)(क)(ii)(iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आगामी आदेश अथवा नगर निगम/परिषद्/पालिका मण्डल की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए निम्न नगर निगम/परिषद्/पालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित व्यक्तियों को एतद् द्वारा सहवृत सदस्य मनोनीत करती है:-

जिला	नगरीय निकाय का नाम	क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पिता/पति का नाम	पता	मोबाईल	श्रेणी
जयपुर	नगरपालिका शाहपुरा	1.	श्री अनिल नरवन	श्री घीसा लाल सैन	वार्ड नं. 7, शाहपुरा, जयपुर		
		2.	श्री कृष्ण कुमार	श्री महेश कुमार मीणा	वार्ड नं. 29, शाहपुरा, जयपुर		
		3.	श्री रमेश वाल्मिकी	श्री छाजूराम	वार्ड नं. 17, शाहपुरा, जयपुर		
		4.	श्रीमती मीना कुम्हार	श्री गोपाल कुम्हार	वार्ड नं. 32, शाहपुरा, जयपुर		
		5.	अंजू शर्मा	श्री बनवारी लाल शर्मा	वार्ड नं. 14, शाहपुरा, जयपुर		दिव्यांग
		6.	श्री रवि अग्रवाल	श्री मुरारी अग्रवाल	वार्ड नं. 30, शाहपुरा, जयपुर		

राज्यपाल की आज्ञा से,


(दीपक नन्दी)

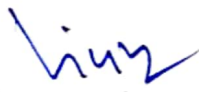
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:प 8 (ड)()बो.प्र/डीएलबी/21/2787 - 2800

दिनांक 14-6-2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
02. निजी सचिव, विशेषाधिकारी (डी.), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
03. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, जिला कलक्टर, जयपुर
07. निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
08. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग जयपुर
09. संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि सहवृत/मनोनीत सदस्यों को एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
10. संबंधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ शाहपुरा को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि सहवृत/मनोनीत सदस्यों को अपने स्तर पर सूचित करते हुए उपखण्ड अधिकारी से एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
11. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
12. उप निदेशक (जनसम्पर्क), निदेशालय।
13. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक:प 8 (ड)()विधि/मनो/डीएलबी/21/ 2696

दिनांक 15/6/21

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6(1)(क)(ii)(iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आगामी आदेश अथवा नगर निगम/परिषद्/पालिका मण्डल की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए निम्न नगर निगम/परिषद्/पालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित व्यक्तियों को एतद् द्वारा सहवृत सदस्य मनोनीत करती है:-

जिला	नगरीय निकाय का नाम	क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पिता/पति का नाम	पता	मोबाईल	श्रेणी
पाली	नगर परिषद्, पाली	1.	श्री आसिफ भाटी	श्री मुमताज अहमद	49-बी, बुसी गली, नवलखां जैन, मंदिर रोड, पाली	9829019700 9829725100	
		2.	श्री महेन्द्र मेहता	श्री रंगराज मेहता	2, ग्रीन पार्क, पाली	9828883294	दिव्यांग
		3.	श्रीमती संतोष दूबे		महेश कॉलोनी, आई.टी.आई. रोड, पाली	8875412280	

राज्यपाल की आज्ञा से,


(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
02. निजी सचिव, विशेषाधिकारी (डी.), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
03. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, जिला कलक्टर, जाली
07. निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
08. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग जाली
09. संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि सहवृत/मनोनीत सदस्यों को एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
10. संबंधित आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ जाली को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि सहवृत/मनोनीत सदस्यों को अपने स्तर पर सूचित करते हुए उपखण्ड अधिकारी से एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
11. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
12. उप निदेशक (जनसम्पर्क), निदेशालय।
13. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: B (ड)()विधि/मनो/डीएलबी/21/2756

दिनांक 14-6-2021

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6(1)(क)(ii)(iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आगामी आदेश अथवा नगर निगम/परिषद्/पालिका मण्डल की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए निम्न नगर निगम/परिषद्/पालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित व्यक्तियों को एतद् द्वारा सहवृत्त सदस्य मनोनीत करती है:-

जिला	नगरीय निकाय का नाम	क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पिता/पति का नाम	पता	मोबाईल	श्रेणी
बून्दी	नगरपालिका नैनवां	1.	श्री सुरेश मोडिका	श्री सोहनलाल	वार्ड नं. 7, मालदेव का चौक, नैनवां	9414946669	
		2.	श्री शिवराज नागर	श्री सीताराम	उनियारा चौक, नैनवां	9461752324	
		3.	श्रीमती हरवाई गुर्जर	श्री रंगलाल	वार्ड नं. 25, नैनवां	9636918281	
		4.	श्री शान्तीलाल मीणा	श्री सुखपाल मीणा	वार्ड नं. 18, गांधी आवासीय कॉलोनी, नैनवां	9928991966	
		5.	श्रीमती सुल्ताना बानो	श्री फारुख अली	वार्ड नं. 13, देई पोल, दरवाजा, नैनवां	9610877644	दिव्यांग
		6.	श्री लक्ष्मण नकवाल	श्री सत्यनारायण	शिवपुरी कॉलोनी, वार्ड नं. 12, नैनवां	9166732590	

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:प 8 (ड)()बो.प्र/डीएलबी/21/2757 - 2770

दिनांक 14-6-2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
02. निजी सचिव, विशेषाधिकारी (डी.), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
03. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, जिला कलक्टर, पुष्प
07. निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
08. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग कीटा
09. संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि सहवृत/मनोनीत सदस्यों को एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
10. संबंधित आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ जैजवा को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि सहवृत/मनोनीत सदस्यों को अपने स्तर पर सूचित करते हुए उपखण्ड अधिकारी से एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
11. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
12. उप निदेशक (जनसम्पर्क), निदेशालय।
13. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
क्रमांक:प 8 (ड)()विधि/मनो/डीएलबी/21/2726

दिनांक 14-6-2021

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6(1)(क)(ii)(iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आगामी आदेश अथवा नगर निगम/परिषद्/पालिका मण्डल की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए निम्न नगर निगम/परिषद्/पालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित व्यक्तियों को एतद् द्वारा सहवृत्त सदस्य मनोनीत करती है:-

जिला	नगरीय निकाय का नाम	क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पिता/पति का नाम	पता	मोबाईल	श्रेणी
प्रतापगढ़	नगर परिषद् प्रतापगढ़	1.	श्री विजय राज सोनी	श्री रामप्रसाद सोनी	झण्डा गली, प्रतापगढ़	9414736056	दिव्यांग
		2.	श्री नितिन जैन	श्री चन्द्रप्रकाश जैन	हीरा कॉलोनी, आबकारी रोड, प्रतापगढ़	7340528898	
		3.	श्री चिमन लाल	श्री चोकाजी मीणा	आनन्द होटल के पीछे, बगवास, प्रतापगढ़	9636132997	
		4.	श्री प्रमोद गंधर्व	श्री गोपाल गंधर्व	सालमपुरा, ओडा गली	9929770120	
		5.	श्रीमती हेमा डागर	श्री विनोद डागर	धमोतर दरवाजा, प्रतापगढ़	9588040766	
		6.	श्री लक्ष्मण गायरी	श्री वरदा गायरी	बगवास	9928791746	
		7.	श्री विजय उपाध्याय	श्री रामेश्वरलाल	नई आबादी, प्रतापगढ़	9414397068	
		8.	श्री अशोक धोबी	श्री हीरालाल धोबी	नाकोडा नगर प्रतापगढ़		

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:प 8 (ड) ()बो.प्र/डीएलबी/21/2727 -2740

दिनांक 14-6-2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
02. निजी सचिव, विशेषाधिकारी (डी.), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
03. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, जिला कलेक्टर, पूनापरा
07. निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
08. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग जयपुर
09. संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि सहवृत्त/मनोनीत सदस्यों को एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
10. संबंधित आयुक्त/अधिक्षाधी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका पूनापरा को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि सहवृत्त/मनोनीत सदस्यों को अपने स्तर पर सूचित करते हुए उपखण्ड अधिकारी से एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
11. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
12. उप निदेशक (जनसम्पर्क), निदेशालय।
13. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय नाथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक:प 8 (ड)()विधि/मनो/डीएलबी/21/ 2681

दिनांक 14/6/21

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6(1)(क)(ii)(iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आगामी आदेश अथवा नगर निगम/परिषद्/पालिका मण्डल की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए निम्न नगर निगम/परिषद्/पालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित व्यक्तियों को एतद् द्वारा सहवृत सदस्य मनोनीत करती है:-

जिला	नगरीय निकाय का नाम	क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पिता/पति का नाम	पता	मोबाईल	श्रेणी
उदयपुर	नगर पालिका सलुम्बर	1.	श्री महिपाल जैन	श्री लक्ष्मीलाल जैन	सलुम्बर	9414737589	
		2.	श्री ईरशाद मोहम्मद	श्री नौशाद अहमद	सलुम्बर	9602507878	दिव्यांग
		3.	श्री लक्ष्मीलाल खटीक	श्री मोहनलाल खटीक	सलुम्बर	9928650675	
		4.	श्रीमती प्रवीणा शर्मा	श्री सुनील सेवक	सलुम्बर	9785263265	
		5.	श्री रमेश नाथ	श्री भैरुनाथ	सलुम्बर	8107989717	
		6.	श्री धर्मेन्द्र सुथार	श्री गोपाल सुथार	सलुम्बर	8426853569	

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:प 8 (ड)()बो.प्र/डीएलबी/21/ 2682-95

दिनांक 14/6/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
02. निजी सचिव, विशेषाधिकारी (डी.), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
03. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, जिला कलक्टर, उदयपुर.....
07. निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
08. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग उदयपुर.....
09. संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि सहवृत/मनोनीत सदस्यों को एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
10. संबंधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ सुदूर..... को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि सहवृत/मनोनीत सदस्यों को अपने स्तर पर सूचित करते हुए उपखण्ड अधिकारी से एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
11. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
12. उप निदेशक (जनसम्पर्क), निदेशालय।
13. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
क्रमांक:प 8 (ड)()विधि/मनो/डीएलबी/21/2751

दिनांक 14-6-2021

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6(1)(क)(ii)(iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आगामी आदेश अथवा नगर निगम/परिषद्/पालिका मण्डल की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए निम्न नगर निगम/परिषद्/पालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित व्यक्तियों को एतद् द्वारा सहवृत सदस्य मनोनीत करती है:-

जिला	नगरीय निकाय का नाम	क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पिता/पति का नाम	पता	मोबाईल	श्रेणी
डूंगरपुर	नगर परिषद डूंगरपुर	1.	सरोज जोहियाला	श्री शंकरलाल जोहियाला			
		2.	कैलाश यादव	श्री लक्ष्मण यादव			
		3.	श्री राकेश पंचाल	श्री शंकरलाल पंचाल			
		4.	श्री रवि जादू	श्री कचरुलाल जादू			
		5.	श्री जवाहर	श्री कुन्दन लोहार			दिव्यांग
		6.	मोहम्मद इकबाल सैय्यद	मोहम्मद शरीफ सैय्यद			
		7.	श्री गोपाल गांधी	श्री भवंरलाल गांधी			
		8.	मोहम्मद यूनुस	मोहम्मद ईसहाक मेवाफरोश			
	नगरपालिका सागवाडा	1.	श्रीमती पुष्पा सरपोटा	श्री गवरा सरपोटा	शुक्लवाडा, सागवाडा, डूंगरपुर		दिव्यांग
		2.	श्रीमती कल्पना जोशी	श्री हरीश जोशी	गामठवाडा, सागवाडा, डूंगरपुर	7568710893	
		3.	श्री खुशपाल गलालिया	श्री बदामीलाल गलालिया	पुनर्वास कॉलोनी, सागवाडा, डूंगरपुर	9413529194	



डूंगरपुर	4.	श्री प्रदीप जोशी	श्री सुखलाल जोशी	गामठवाडा, सागवाडा, डूंगरपुर	9462104989	
	5.	श्री किशोर भावसार	श्री शंकरलाल भावसार	पोल का कोठा, सागवाडा, डूंगरपुर	7976350354	
	6.	श्री जाकिर सीमलवाडा	श्री फखरुद्दीन सीमलवाडा	बोहरावाडी, सागवाडा, डूंगरपुर	8058708552	

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक मन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक 14-6-2021

क्रमांक:प 8 (ड)()बो.प्र/डीएलबी/21/2742-2755

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
02. निजी सचिव, विशेषाधिकारी (डी.), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
03. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, जिला कलक्टर, डूंगरपुर.....
07. निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
08. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग जयपुर.....
09. संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि सहवृत्त/मनोनीत सदस्यों को एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
10. संबंधित आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ डूंगरपुर/सागवाडा को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि सहवृत्त/मनोनीत सदस्यों को अपने स्तर पर सूचित करते हुए उपखण्ड अधिकारी से एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
11. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
12. उप निदेशक (जनसम्पर्क), निदेशालय।
13. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली।

(Signature)

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक:प 8 (ड)()विधि/मनो/डीएलबी/21/2771

दिनांक 14-6-2021

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6(1)(क)(ii)(iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आगाभी आदेश अथवा नगर निगम/परिषद्/पालिका मण्डल की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए निम्न नगर निगम/परिषद्/पालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित व्यक्तियों को एतद् द्वारा सहवृत्त सदस्य मनोनीत करती है:-

जिला	नगरीय निकाय का नाम	क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पिता/पति का नाम	पता	मोबाईल	श्रेणी
बारां	नगरपालिका अन्ता	1.	श्री गजेन्द्र कुमार शान्त	श्री शिवनारायण	कवारापुरा, अन्ता	9694334190	
		2.	श्री दुर्गाशंकर यादव	श्री छीतरलाल	शिव कॉलोनी, अन्ता	8279244705	
		3.	श्री मोहम्मद इकबाल (मल्लू)	श्री अब्दुल रजाक	अजीतपुरा, अन्ता	9414487951	
		4.	श्रीमती पूजा जैन	श्री रजत जैन	कोटा रोड बमोरी, अन्ता	8503828999	
		5.	श्री घनश्याम गौतम	श्री गोपीबल्लभ	बृह्मपुरी वार्ड सं. 22, अन्ता	8949503091	
		6.	श्री हुकमचंद रेगर	श्री ग्यारसीराम	कोटा रोड बमोरी, अन्ता	9024638903	दिव्यांग
	नगरपालिका मांगरोल	1.	श्री प्रवीण शर्मा	श्री ब्रह्मानन्द शर्मा	कुंज चौक, वार्ड नं. 24, मांगरोल	9875213110	
		2.	श्री हुकुमचंद प्रजापति	श्री हरिबल्लभ	मीठे कुएं के बाग के पास, वार्ड नं. 12, मांगरोल	9610750969	दिव्यांग

राज्यपाल की आज्ञा से,


(दीपक मन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:प 8 (ड)()बो.प्र/डीएलबी/21/2772 - 2785

दिनांक 14-6-2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
02. निजी सचिव, विशेषाधिकारी (डी.), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
03. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, जिला कलक्टर, धारा
07. निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
08. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग जयपुर
09. संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि सहवृत/मनोनीत सदस्यों को एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
10. संबंधित आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ अवतार/सांगरी को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि सहवृत/मनोनीत सदस्यों को अपने स्तर पर सूचित करते हुए उपखण्ड अधिकारी से एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
11. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
12. उप निदेशक (जनसम्पर्क), निदेशालय।
13. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
क्रमांक:प 8 (ड)()विधि/मनो/डीएलबी/21/27/1

दिनांक 14/6/2021

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6(1)(क)(ii)(iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आगामी आदेश अथवा नगर निगम/परिषद्/पालिका मण्डल की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए निम्न नगर निगम/परिषद्/पालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित व्यक्तियों को एतद् द्वारा सहवृत्त सदस्य मनोनीत करती है:-

जिला	नगरीय निकाय का नाम	क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पिता/पति का नाम	पता	मोबाईल	श्रेणी
बाड़मेर	नगर परिषद्, बाड़मेर	1.	श्रीमती हउआदेवी	श्री कालूराम जांगिड	वार्ड सं. 52, विश्वकर्मा मंदिर के सामने, बाड़मेर	6376906357	
		2.	श्री जयराम	श्री बलराम प्रजापत	इन्दिरा कॉलोनी, बाड़मेर	8118842529	
		3.	श्री नरेशदेव सारण	श्री देवीसिंह सारण	महावीर नगर, बाड़मेर	9414302120	
		4.	श्री किशोर कुमार	श्री श्यामदास दुलानी	राय कॉलोनी, बाड़मेर	9414282483	
		5.	श्री मगराज	श्री नाथूराम सैन	गायत्री चौक, नाईयों का पाडा, बाड़मेर		दिव्यांग
		6.	श्री श्रवण कुमार	श्री तेजदान चारण	रॉय कॉलोनी, बाड़मेर	9413526648	
		7.	श्री हंसराज	श्री दुर्गादास सोनी	पनघट रोड, बाड़मेर	9660443076	
		8.	श्री भीमसिंह	श्री जब्बरसिंह	गेहूँ रोड, बाड़मेर	9414302171	
	नगर परिषद्, बालोतरा	1.	श्री शंकरलाल सलुन्दिया	श्री राणुलाल	देशान्तरियों का बास, वार्ड संख्या 12, बालोतरा, बाड़मेर	9413524617	
		2.	श्री धनराज घांची	श्री बंशीलाल घांची	आदर्श विद्या मन्दिर स्कूल के पीछे, वार्ड नं. 9, बालोतरा, बाड़मेर	9636250250	
		3.	श्री हड़मानाराम मेघवाल	श्री हंजारीरामजी	नेहरू कॉलोनी, बालोतरा, जिला- बाड़मेर		दिव्यांग

राज्यपाल की आज्ञा से,


(दीपक मन्दी)

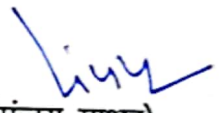
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:प 8 (ड)()बो.प्र/डीएलबी/21/२ 7-१२-२५

दिनांक 14/6/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
02. निजी सचिव, विशेषाधिकारी (डी.), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
03. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, जिला कलक्टर, बाडमेर
07. निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
08. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर
09. संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि सहवृत/मनोनीत सदस्यों को एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
10. संबंधित आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ बाडमेर/बांलीतरा को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि सहवृत/मनोनीत सदस्यों को अपने स्तर पर सूचित करते हुए उपखण्ड अधिकारी से एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
11. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
12. उप निदेशक (जनसम्पर्क), निदेशालय।
13. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी